

नई दिल्ली, 7 जून, 2024

सा.का.नि. 73.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में पुलिस उप-अधीक्षक (लाइन्स और क्वार्टर मास्टर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, पुलिस उप-अधीक्षक (लाइन्स और क्वार्टर मास्टर), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम।	पद संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पुलिस उप-अधीक्षक (लाइन्स और क्वार्टर मास्टर)।	02* (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 9 (रु. 53100-167800/-)।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति - केंद्रीय पुलिस संगठन या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या राज्य पुलिस संगठन या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन पुलिस संगठनों के अधिकारी- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो: या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में, वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 8 (रु 47600-151100) या समतुल्य में उक्त पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दिए गए ग्रेड में दो वर्ष सेवा की हो; और (iii) निरीक्षकों में से, जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (रुपये 44900-142400) में नियमित आधार पर उक्त पद पर नियुक्त होने के पश्चात् दिए गए ग्रेड में तीन वर्ष सेवा की हो; या (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों - (i) आवश्यक अर्हताएं - (अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री; और (आ) लाइन्स या क्वार्टर मास्टर में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 23011/04/2021-पीटी]

डी. के. घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 7th June, 2024

G.S.R. 73.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Superintendent of Police (Lines and Quarter Master) in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely: -

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Deputy Superintendent of Police (Lines and Quarter Master), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Deputy Superintendent of Police (Lines and Quarter Master).	2* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-9 in the pay matrix (Rs 53100-Rs 167800).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Police Organisation or Central Armed Police Forces or State Police Organisation or Union territory Administrations Police Organisations;- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 in the pay matrix (Rs 47600-151100) or equivalent in the parent cadre or Department; and (iii) amongst the Inspectors with three years service in the grade rendered after appointed to the said post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; or (b) possessing the following educational qualifications and experiences,- (i) Essential qualifications,- A. Bachelor degree from a recognised University; and B. Two years' experience in Lines or Quarter Master. Note 1- The period of deputation including the period of	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date for receipt of applications.

[F. No. 23011/04/2021-PT]

D. K. GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 मई, 2024

सा.का.नि. 74.—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सशस्त्र सीमा बल, योद्धक निरीक्षक, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, अनुसचिवीय (अराजपत्रित) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सीमा बल में निरीक्षक (कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, योद्धक, निरीक्षक (कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. सेवा का दायित्व.—इन नियमों के अधीन उक्त पदों पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने का दायी होगा।

5. निरर्हता.— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता.— इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 में हैं, इन नियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण:—इस नियम के प्रयोजन के लिए, "शेष-1" से निम्नानुसार परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत हैं:—

- (i) कोड अक्षर शेष एस एच ए पी ई, जो निम्नलिखित कृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्ता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सीय वर्गीकरण:-

एस	-	मनोवैज्ञानिक
एच	-	श्रवण शक्ति
ए	-	उपांग (अपैन्डेजेस)
पी	-	शारीरिक क्षमता
ई	-	दृष्टि शक्ति